



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256481
CG-DL-E-20082024-256481

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 460]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नि.499(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलौह धातु स्क्रेप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हेतु विनियम लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथोपेक्षित इसमें संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, वह लिखित रूप में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है अथवा उसे ई-मेल पते mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, तेजी से बदलती दुनिया में, आज सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। अयस्क और खनिज धातुएं गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर और सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती मांग है, जिससे पहले से निष्कर्षित धातुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना अनिवार्य हो जाता है। इन अलौह धातुओं के पुनर्चक्रण से रोजगार सृजन की संभावना के अलावा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी मिलते हैं;

और जबकि, भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्र घने जंगलों के भीतर हैं और जहां पर जनजातीय समुदायों के लोग रहते हैं। पुनर्चक्रण से धातुओं की बढ़ती मांग के कारण निष्कर्षण दबाव कम हो जाता है और आजीविका के नुकसान और जंगलों तथा वनस्पति आवरण के विनाश को रोका जा सकेगा

और जबकि, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में विशेष रूप से अलौह धातु क्षेत्र के लिए अलौह धातु

पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए एक "राष्ट्रीय अलौह धातु स्कैप पुनर्चक्रण संरचना, 2020" पुस्तिका प्रकाशित की है और एक औपचारिक तथा सुसंगठित पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और धातु पुनर्चक्रण के माध्यम से आर्थिक संपदा सृजन, रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कुछ कार्रवाई बिंदुओं की अनुशंसा है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथासंशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत अलौह धातुओं के स्कैप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संबन्ध में इस अधिसूचना में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 हैं।
(2) वे 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), अध्याय VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'अध्याय VIII

अलौह धातुओं के स्कैप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

44. परिभाषाएँ. - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, -

- क) "थोक उपभोक्ता" से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किसी भी समय इस अध्याय की अनुसूची-I में सूचीबद्ध कम से कम एक हजार टन अलौह धातु उत्पादों का उपयोग करने वाली कोई इकाई अभिप्रेत है और इसमें ई-खुदरा विक्रेता भी शामिल है;
- ख) "कारोबार" से स्क्रेप धातुओं के उत्पादन या निर्माण या बिक्री और आयात, पुनर्चक्रण, निपटान और शोधन की कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
- ग) 'संग्रह स्थल' से उन क्षेत्रों और वह केंद्र अभिप्रेत है जहां इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकृत संग्रह अभिकर्ता अलौह धातुओं के स्क्रेप का संग्रह करेगा;
- घ) 'संग्रह अभिकर्ता' से किसी भी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो अलौह धातुओं के स्क्रेप का संग्रह करता है और पुनर्चक्रण को इसकी आपूर्ति करता है;
- ङ) "विनिर्माता" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित व्यक्ति या संस्था या कंपनी या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में परिभाषित कारखाना या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित लघु और मध्यम उद्यम अभिप्रेत है, जिसके पास उत्पादों या घटकों या पुर्जों आदि के विनिर्माण के लिए सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग निर्माता इस अध्याय की अनुसूची-I में निर्दिष्ट अनुसार करते हैं;
- च) उत्पाद की "उपयोग अवधि समाप्ति" से तात्पर्य उस अवधि से है जब उपयोगकर्ता द्वारा उत्पाद का प्रयोग करना छोड़ दिया जाता है;
- छ) 'स्क्रेप का पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन' से ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना अभिप्रेत है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्क्रेप धातुओं का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके जो स्क्रेप धातुओं के संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण या निपटान के दौरान हो सकते हैं;
- ज) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' से अलौह धातुओं के उत्पाद स्क्रेप के उत्पादक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है जो कि इस अध्याय के अंतर्गत केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्चक्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिससे कि अलौह धातुओं के स्क्रेप का पर्यावरण की दृष्टि से कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके;
- झ) "सुविधा" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है, जहां अलौह धातुओं के स्क्रेप के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण, निपटान और शोधन से संबंधित क्रियाकलाप किए जा रहे हैं;
- ञ) 'दिशानिर्देश' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें अलौह धातुओं के स्क्रेप के हथालन, संग्रह, परिवहन, भंडारण और पुनः चक्रीकरण सहित अलौह धातुओं के स्क्रेप के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए, न्यूनतम अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है;
- ट) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "अलौह धातु" से एल्युमीनियम या तांबा या जस्ता या उनकी मिश्रधातुएं अभिप्रेत है;

- ठ) 'पोर्टल' से इस अध्याय के अनुपालन के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;
- ड) "उत्पाद" से तात्पर्य किसी भी उत्पाद या वस्तु अभिप्रेत है जिसमें अलौह धातुएं शामिल हैं;
- ढ) "उत्पादक" से किसी भी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी विक्रय तकनीक का उपयोग करता हो, जैसे डीलर, खुदरा विक्रेता, ई-खुदरा विक्रेता, जो, -
- अलौह धातुओं या उनके मिश्रधातुओं का उपयोग करके अलौह धातुओं से बने उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्पेयर्स का विनिर्माण करता है और उन्हें अपने ब्रांड के तहत बेचने की पेशकश करता है; या
 - अपने ब्रांड के अंतर्गत अलौह धातुओं से बने उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित भागों या अतिरिक्त भागों को बेचने की पेशकश करता है, जिनमें अलौह धातुओं या उनके मिश्रधातुओं का उपयोग किया गया है; या
 - अलौह धातुओं से बने आयातित उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्पेयर्स को अपने स्वयं के ब्रांड या मूल ब्रांड के तहत अलौह धातुओं या उनके मिश्र धातुओं का उपयोग करके बेचने की पेशकश करता है; या
 - जो अलौह धातुओं के प्रयुक्त उपकरणों या उत्पादों या स्क्रेप का आयात करता है।
- ण) "पुनर्चक्रण" से अलौह धातुओं के स्क्रेप के पुनर्चक्रण की कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से मूल्यवर्धित उत्पादों/पुनर्नवीनीकृत धातुओं और मिश्र धातुओं का उत्पादन करना और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में वर्णित सुविधाएं होना शामिल है।
- त) 'पुनर्चक्रक' से अलौह स्क्रेप धातुओं के पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया में लगे किसी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है;
- थ) 'पुनर्चक्रक लक्ष्य' से अनुसूची-II के प्रावधानों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले अलौह धातुओं के स्क्रेप की मात्रा अभिप्रेत है;
- द) "नवीनीकरणकर्ता" से किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो अनुसूची-III में सूचीबद्ध अलौह धातुओं से बने प्रयुक्त उत्पाद की मरम्मत या संयोजन करता है, ताकि उसकी उपयोग अवधि उसके मूल रूप से इच्छित अवधि से अधिक हो और उसका उपयोग मूल उत्पाद की तरह हो, और उसे बाजार में बेचा जा सके;
- ध) 'मानक प्रचालन प्रक्रिया' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपकरण और प्रक्रियाओं की न्यूनतम आवश्यकता को विस्तार से बताने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज़ अभिप्रेत है;
45. पंजीकरण. - (1) निम्नलिखित इकाइयां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकती हैं, यथा:-
- निर्माता
 - उत्पादक
 - संग्रहणकर्ता

- (घ) नवीनीकरणकर्ता
(ङ) पुनर्चक्रक

(2) यदि कोई इकाई उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक श्रेणियों में आती है, तो उसे उक्त श्रेणियों के लिए अपना पंजीकरण अलग-अलग कराना होगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी संस्था पंजीकरण के बिना कारोबार नहीं कर सकेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन पंजीकृत इकाइयां ऐसी किसी भी इकाई से कारबार नहीं करेगी जो कि उप-नियम (1) के अधीन पंजीकृत न हो

(5) जहां कोई पंजीकृत संस्था ऐसा विवरण या रिपोर्ट या जानकारी जिसे इस अध्याय के अधीन पंजीकरण के लिए प्रदान करना या प्रस्तुत करना आवश्यक है, के संबंध में गलत सूचना देती है या सूचना जानबूझकर छुपाती है या किसी भी अनियमितता के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई का पंजीकरण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, नियम 59 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अध्याय के अधीन पंजीकरण की मांग करने वाली इकाइयों से पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अनुरक्षण शुल्क ले सकता है, जो उनके द्वारा उत्पादित, पुनर्चक्रित या उनके द्वारा संचालित स्क्रेप धातुओं की मात्रा के आधार पर हो सकता है।

46. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तौर तरीके और इसके लक्ष्य

(1) सभी उत्पादकों को अनुसूची-I में सूचीबद्ध उत्पाद या वस्तु के संदर्भ में अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों पूरा करेंगे और ऐसा करते हुए वे एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों, संग्रह केंद्रों, डीलरों जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों की सहायता भी ले सकते हैं:

परंतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व समग्र रूप से उत्पादक पर ही निहित होंगे।

(2) उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को प्रचालन परक घाटे के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित कारक से कम किया जाएगा।

(3) (i) उत्पादक केवल रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पूरा करेंगे;

(ii) उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की पोर्टल पर पुनः जांच की जाएगी;

(iii) अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जायेगा; और

(iv) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय संपरीक्षा के अधीन होंगे।

47. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन. - (1) पुनर्चक्रण (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र सृजित करेगा, जिसकी संगणना नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी-

$$*Q_{EPR} = Q_p \times C_f.$$

* Q_{EPR} प्रमाण पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा है, Q_p अंतिम रूप से तैयार उत्पाद की मात्रा है और C_f प्रत्येक अंतिम रूप से तैयार उत्पाद का रूपांतरण कारक (एक यूनिट आउटपुट के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा) है

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों के आधार पर प्रत्येक अंतिम रूप से तैयार उत्पाद रूपांतरण कारक C_f निर्धारित किया जाएगा;

- (2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष होगी जिसमें वह सृजित हुआ था और समाप्ति प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा अन्यथा इन नियमों के अनुसार इसकी अवधि पहले समाप्त न हो जाए।
- (3) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का अपना एक विशिष्ट क्रमांक होगा जिसमें सृजन का वर्ष, अंतिम रूप से तैयार उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता का कोड का विवरण शामिल होगा और वे विशिष्ट कोड और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और 100, 200, 500, 1000 और 10,000 किलोग्राम के मूल्यवर्ग में होंगे या उस मूल्यवर्ग में होंगे जो कि नियम 62 के अधीन गठित संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हों।
- (4) पुनर्चक्रण के अंतिम रूप से तैयार विभिन्न उत्पादों के मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए परिवर्तन कारक का निर्धारण संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।"

(2) नवीनीकरण.- (i) अनुसूची-III में सूचीबद्ध अलौह धातुओं से बने उत्पादों के नवीनीकरण के लिए भी अनुमति दी जाएगी और नवीनीकरणकर्ता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत नवीनीकरणकर्ता के पक्ष में नवीनीकरण प्रमाण पत्र सृजित किया जाएगा।

(ii) पंजीकृत नवीनीकरणकर्ताओं से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने पर, उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को अलौह धातुओं से बने उत्पाद की संगत मात्रा के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि तक आस्थगित कर दिया जाएगा और नवीनीकृत उत्पाद के विस्तारित अवधि की समाप्ति पर इसे उत्पादक की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में जोड़ दिया जाएगा।

(iii) नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, आस्थगित मात्रा का केवल 75 प्रतिशत नवीनीकृत उत्पाद के विस्तारित अवधि की समाप्ति पर पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा।

48. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का लेन-देन- (1) एक उत्पादक अपनी वर्तमान वर्ष (वर्ष व) की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पिछले वर्ष की शेष देयता तथा वर्तमान वर्ष की देयता के 10 प्रतिशत की सीमा तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को तिमाही आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को उचित अनुपात में खरीद कर पूरा किया जाना होगा।

(3) जैसे ही उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वतः ही उसकी देयता के विरुद्ध समायोजित हो जाएगा, पूर्व देयता को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित किया गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वयं समाप्त और रद्द हो जाएगा।

- (4) जैसे ही उत्पादक नवीनीकरण प्रमाणपत्र खरीदता है, उसका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वदेयता उत्पाद की प्रासंगिक मात्रा के लिए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के लिए स्वतः आस्थगित हो जाएगा।
- (5) प्रत्येक उत्पादक या पुनर्चक्रणकर्ता के आयातक या पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (6) उत्पादकों या नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अनुसूची के अधीन सभी लेने-देन का रिकार्ड रखा जाएगा और इसे पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान या अंतरण के लिए आदेश द्वारा एक या एक से अधिक प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगी।
- (8) उप-नियम (7) के अधीन स्थापित प्लेटफार्म का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित और विनियमित किया जाएगा।
- (9) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जो नियम 59 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता की पूर्ति न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का क्रमशः सौ प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।
- (10) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य उप-नियम (9) में निर्दिष्ट उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा।

- 49. पंजीकरण, वार्षिक विवरणी फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और सामग्री का पता लगाने के लिए पोर्टल-** (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकरण संबंधी कार्य के साथ-साथ तिमाही और वार्षिक रिटर्न को फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और किसी निकाय या व्यक्ति द्वारा उत्पादित या अलौह धातु स्क्रेप का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा जो एक ऐसे तंत्र को सुनिश्चित करेगी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में किसी उत्पादक द्वारा बाजार में लाए गए अलौह धातु स्क्रेप का वास्तविक संतुलन परिलक्षित होता हो;
- (2) यह पोर्टल, अलौह धातुओं के स्क्रेप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रबंधन और कार्यान्वयन के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।
 - (3) यह ऑनलाइन पोर्टल परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2024 के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा चालू किया जाएगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से संबंधित सभी क्रियाकलाप ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे।
 - (4) इस अध्याय के अधीन उत्सर्जित अलौह धातुओं के परिवहन के लिए मालसूची प्रणाली, उन इकाइयों के लिए लागू होगी जिनके लिए उक्त नियमावली के अधीन अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

- (5) केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट होती है कि ऐसा करना जनहित में या इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, आदेश द्वारा किसी अवधि, जिसके भीतर किसी उत्पादक, संग्रह अभिकर्ता, नवीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा इन नियमों के तहत कोई विवरणी या रिपोर्ट दायर की जानी है, को अधिकतम नौ महीने की अवधि तक बढ़ाकर छूट दे सकती है।

50. विनिर्माता के उत्तरदायित्व – सभी विनिर्माताओं को -

- (क) पोर्टल पर पंजीकरण करना है;
- (ख) उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्कैप के निर्माण के दौरान उत्सर्जित अलौह धातुओं और अपशिष्ट के स्कैप को एकत्र करना और इसका पुनर्चक्रण या निपटान सुनिश्चित करना है;
- (ग) **अनुसूची-IV** के अनुसार नए उत्पाद में घरेलू रूप से पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग संबंधी दायित्व निभाना होगा। नए उत्पाद में पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग का आकलन नए उत्पाद के कुल भार के संबंध में होगा।
- (घ) किसी तिमाही से संबंधित तिमाही रिटर्न को उस तिमाही के बाद के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना है;
- (ङ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना है;
- (च) कई कार्यालयों वाले विनिर्माता के मामले में, सभी कार्यालयों से जानकारी के संयोजन के लिए एकल वार्षिक रिटर्न दाखिल की जाएगी।

51. उत्पादकों का उत्तरदायित्व – अलौह धातुओं के उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे –

- (क) पोर्टल पर पंजीकरण;
- (ख) अनुसूची-II के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना;
- (ग) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी वेबसाइट या विज्ञापनों या प्रलेखन के माध्यम से उपभोक्ताओं को संपर्क विवरण जैसे पता, ई-मेल पता, टोल-फ्री टेलीफोन नंबर या हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना।
- (घ) किसी तिमाही से संबंधित तिमाही रिटर्न को उस तिमाही के बाद के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;
- (ङ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;

- (च) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता सृजित करना;
- (छ) स्क्रेप धातुओं के संग्रह और परिवहन के लिए, उत्पादक और अन्य संस्थाएं दो या दो से अधिक उत्पादकों द्वारा एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों तैयार करने सहित अपनी सुविधा अनुसार उपयुक्त व्यवस्था कर सकती हैं।

52 . संग्रह अभिकर्ता का उत्तरदायित्व -सभी संग्रह अभिकर्ताओं को, -

- (क) पोर्टल पर पंजीकरण करना है;
- (ख) विनिर्माता, उत्पादकों, थोक उपभोक्ताओं से अलौह धातुओं का स्क्रेप एकत्र करना और पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को आपूर्ति करना और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना;
- (ग) किसी तिमाही से संबंधित तिमाही रिटर्न को उस तिमाही के बाद महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;
- (घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की जून 30 को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना।

53. नवीकर्ता के उत्तरदायित्व -सभी नवीकर्ताओं को, -

- (क) पोर्टल पर पंजीकरण करना है;
- (ख) उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्क्रेप के निर्माण के दौरान उत्सर्जित अलौह धातुओं और अपशिष्ट के स्क्रेप को एकत्र करना और इसका पुनर्चक्रण या निपटान सुनिश्चित करना;
- (ग) किसी तिमाही से संबंधित तिमाही रिटर्न को उस तिमाही के बाद महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;
- (घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की जून को या 30 उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना।

54 . पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व - पुनर्चक्रणकर्ताओं को, -

- (क) पोर्टल पर पंजीकरण करना है;
- (ख) यह सुनिश्चित करना है कि सुविधा और पुनर्चक्रण प्रक्रियाएं इन नियमों के अनुसार हैं;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि अलौह धातुओं का स्क्रेप पंजीकृत विनिर्माताओं, उत्पादकों और संग्रह अभिकर्ता से खरीदा जाता है;
- (घ) यह सुनिश्चित करना है कि स्क्रेप धातुओं के भंडारण, परिवहन और पुनर्चक्रण के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

(ड) यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित अवशिष्ट का किसी प्राधिकृत शोधन भंडारण निपटान सुविधा में या उक्त नियमावली के अनुसार ही निपटान किया जाता है;

(च) किसी तिमाही से संबंधित तिमाही रिटर्न को उस तिमाही के बाद महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;

(छ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की जून को या 30 उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में दाखिल करना;

(ज) किसी भी अपशिष्ट या उसकी किसी मात्रा, जिसका पुनर्चक्रण और निपटान नहीं किया जाता है, के बारे में जानकारी रखना और उसे अपलोड करना।

55. थोक उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व - थोक उपभोक्ता, - को

(क) संग्रह अभिकर्ताओं की सुविधा के लिए उनके परिसरों से अलौह धातुओं के स्क्रेप के संग्रह और परिवहन की सुविधा के लिए संग्रह बिंदु स्थापित करेंगे; और

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न अलौह धातुओं के स्क्रेप को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ता को ही सौंपा जाए;

56. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्वकेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित के लिए (1) - उत्तरदायित्व होगा -

(क) पोर्टल का संचालन और रखरखाव तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय;

(ग) पोर्टल पर पंजीकरण करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र तैयार करने, दायित्व की पूर्ति, रिटर्न दाखिल करने तथा इस अध्याय के अधीन अलौह धातुओं के स्क्रेप के संग्रह, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए और समय-समय पर इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के संबंध में भी दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करना और जारी करना;

(घ) इस अध्याय के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल पर आवश्यक फॉर्म या रिटर्न तैयार और जारी करना;

(ङ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन को अभिनिर्धारित करने के लिए यादृच्छिक जांच करना और इस प्रयोजन लिए उक्त बोर्ड, सीमा शुल्क या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण की मदद ले सकता है;

(च) डेटा का प्रलेखन, संकलन और इस पोर्टल पर अपलोड करना;

(छ) इस अध्याय के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना;

- (ज) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (झ) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ञ) सभी हितधारकों को केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ना;
- (ट) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे केंद्रीय सरकार को सौंपना; और
- (ठ) अन्य कोई कार्य जो कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस अध्याय के अधीन सौंपा जाए।

57. राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व – (1) राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के उद्योग विभाग या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस संबंध में यथास्थिति प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, -

- (क) मौजूदा और आगामी औद्योगिक उद्यानों, सम्पदाओं और औद्योगिक समूहों में स्कैप धातुओं और पुनर्चक्रण इकाइयों के संग्रह के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का निर्धारण या आवंटन सुनिश्चित करना;
 - (ख) पुनर्चक्रण में शामिल कामगारों की पहचान और रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;
 - (ग) स्कैप धातुओं के पुनर्चक्रण में शामिल कामगारों के लिए औद्योगिक कौशल विकास क्रियाकलापों का संचालन करना;
 - (घ) स्कैप धातुओं के पुनर्चक्रण में शामिल कामगारों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी करना;
- (2) नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय, विनिर्माताओं, उत्पादकों, थोक उपभोक्ताओं या संग्रह अभिकर्ताओं को उनके अधिकार क्षेत्रों में स्कैप धातुओं के संग्रह के लिए बड़ी संख्या में संग्रह स्थल स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेंगी। यह भी सुनिश्चित करेंगी कि अलौह धातुओं का स्कैप, यदि नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाता है, को उचित तरीके से पृथक्कृत और एकत्रित किया जाता है तथा पुनर्चक्रण के कार्य में लगी रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को उचित प्रणाली से पहुंचाया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों के उत्तरदायित्व में,-
- (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इस अध्याय का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है;
 - (ii) संग्रह अभिकर्ताओं द्वारा संग्रह केंद्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान करना है;
 - (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किए अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी करना है;

- (iv) उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ताओं या नवीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं का यादृच्छिक निरीक्षण करना है;
- (v) इस अध्याय के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य का निष्पादन करना है।

58. भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तरदायित्व (बीआईएस) - भारतीय मानक ब्यूरो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर इस अध्याय के संबंध में मौजूदा मानकों में संशोधन करेगा और आवश्यक मानक निर्धारित करेगा।

59. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति - (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस अध्याय और संव्यवहार में निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं करने या मिथ्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र का उपयोग करने के मामले में उत्पादकों पर या इस अध्याय और इसके अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर किसी इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित और संग्रह करने संबंधी दिशा निर्देश तैयार करेगा।-

- (2) नकली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने और गलत जानकारी देने के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं से भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली जाएगी।
- (3) यह वसूली, अपंजीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी संस्था, जो इस अध्याय के उल्लंघन में सहायता या ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, से भी की जाएगी।
- (4) (i) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इस अध्याय में यथा विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से उत्पादक को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार इसे तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा;
- (ii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को पूरा करने में हुई देरी को एक वर्ष के पश्चात पूरा किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पचासी प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा;
- (iii) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को पूरा करने में हुई देरी को दो वर्षों के पश्चात पूरा किए जाने के मामले में वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का साठ प्रतिशत उत्पादक को वापस किया जाएगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को पूरा करने में हुई देरी को तीन वर्षों के पश्चात पूरा किए जाने के मामले में वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का तीस प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, इसके पश्चात् उत्पादक को कोई भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।
- (5) पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से पुनर्चक्रित अलौह धातु के स्क्रेप की मात्रा से पांच प्रतिशत से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र तैयार किए जाने की मिथ्या

सूचना दिए जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी और इस अपराध को दोहराने पर इस अध्याय का तीन बार या उससे अधिक उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप, पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभारों को लगाने के अलावा रजिस्ट्रीकरण भी स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

- (6) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग तीसरे व्यक्ति के खाते में रखा जाएगा और एकत्र की गई निधि का उपयोग पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले गए अलौह धातुओं के स्क्रेप के संग्रहण और पुनर्चक्रण अथवा अंतिम निपटान और गैर-पुनर्चक्रित अथवा अनंतिम निपटान नहीं किए गए स्क्रेप अंतिम निपटान हेतु तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य शीर्षों पर किया जाएगा; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से संचालन समिति द्वारा निधि के उपयोग के लिए कार्यरतियों और शीर्षों के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

60. **उल्लंघन करने पर कार्रवाई** – कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अधीन अपेक्षित गलत जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या ऐसे उपयोग का कारण बनता है, जानबूझकर इस अध्याय के अधीन दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और संपरीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15क, 15ख, 15च के अधीन कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई इस अध्याय के नियम 59 के अधीन वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

61. **सत्यापन एवं लेखा परीक्षा** – (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा किसी नामोद्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से विनिर्माताओं, उत्पादकों, संग्रह अभिकर्ताओं, नवीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अध्याय के अनुपालन का, निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा, जैसा भी उचित समझा जाए, के माध्यम से सत्यापन करेगा और इस अध्याय के नियम 59 के उपबंधों के उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सत्यापन और संपरीक्षा का शुल्क संबंधित रजिस्ट्रीकृत इकाई से वसूला जाएगा।

62. **संचालन समिति** – (1) इस अध्याय के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात:-

- (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

- (ii) खान मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- (iii) इस्पात मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- (iv) विनिर्माता/उत्पादक संघों के एक या दो प्रतिनिधि;
- (v) पुनर्चक्रणकर्ता संघों के एक या दो प्रतिनिधि;
- (vi) जवाहरलाल नेहरू अलुमिनियम अनुसंधान विकास और डिज़ाइन केंद्र का एक प्रतिनिधि;
- (vii) संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सह-योजित अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि;
- (viii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव; और
- (ix) सदस्य संयोजक के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभाग अध्यक्ष।

(2) संचालन समिति, किसी अन्य सदस्य को आवश्यक मानते हुए सहयोजित कर सकती है।

(3) संचालन समिति, इस अध्याय के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और अधीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में समय-समय पर उठने वाले विवादों के संबंध में विनिश्चय भी करेगी और इस अध्याय से उत्पन्न यह संबंधित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को केंद्रीय सरकार को संदर्भित करेगी।

(5) संचालन समिति, प्रौद्योगिकीय प्रगतियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के लक्ष्यों की समीक्षा एवं उनमें संशोधन करेगी और केन्द्रीय सरकार को संस्तुतियां करेगी।

(6) संचालन समिति, इस अध्याय के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय करेगी।

63. इस नियम के अन्य उपबंधों की अनुप्रयोज्यता – इन नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित उपबंध इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले अलौह धातुओं के उपयोग और प्रबंधन पर भी लागू होंगे।

अनुसूची-1

अलौह धातुओं से बने उत्पादों की सूची

क्र. सं.	उत्पाद
1.	पेय पदार्थों, एरोसोल और ऐसे अन्य उत्पाद के लिए उपयोग की जाने वाली कैन
2.	खाद्य, फार्मा और ऐसे अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली फ़ॉएल
3.	दरवाजे, खिड़कियाँ, शटर
4.	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी)

5.	एल्युमीनियम के पार्टिशियन, ग्रिल और ऐसे अन्य उत्पाद
6.	बर्तन (खाना पकाने के बर्तन, कनस्तर, भंडारण और अन्य ऐसे उत्पाद)
7.	फर्नीचर- टेबल, कुर्सियाँ, बेंच, सीढियाँ आदि जिनमें दरवाजे के मूठ, हैंडल, हार्डवेयर शामिल हैं
8.	रूफिंग और सीलिंग शीट
9.	मोटर, पंप, अल्टरनेटर और ऐसे अन्य उत्पाद
10.	कंडक्टर केबल और तार, स्ट्रिप्स
11.	सेनेटरी वेयर और फिटिंग्स
12.	बिजली की फिटिंग
13.	एल्युमिनियम मिश्र धातु बाइसिकल
14.	ट्रांसफार्मर
15.	विद्युत जेनरेटर सेट
16.	केन्द्रीयित वातानुकूलन संयंत्र
17.	परिधान उत्पाद जैसे बेल्ट बकल, जिप, जूते
18.	खिलौने

अनुसूची- II

उत्पादक का दायित्व विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

क्र. सं.	वर्ष (Y)	पुनर्चक्रण लक्ष्य (वजन के अनुसार)
(i)	2025-2026	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 10%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(ii)	2026-2027	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 10%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(iii)	2027-2028	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 30%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(iv)	2028-2029	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 30%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(v)	2029-2030	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 50%, जहां 'X' उत्पाद का औसत जीवन है
(vi)	2030-2031	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 50%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(vii)	2031-2032 से आगे	वर्ष Y-X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 75%, जहां 'X' उत्पाद का औसत कार्यकाल है
(viii)	1 अप्रैल, 2025 के बाद स्थापित इकाइयों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दो वर्ष की अवधि के बाद शुरू होगा और ऊपर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा।	

(ix)	Y वर्ष में उपयोग किए हुए उपकरणों या उत्पादों या अलौह धातुओं के स्क्रेप के आयातकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Y-1) वर्ष में आयातित अलौह धातुओं का 100 प्रतिशत होगा।
------	--

टिप्पणी:

- (1) वर्ष 2032-2033 की समाप्ति के बाद पुनर्चक्रण लक्ष्य की समीक्षा की जा सकती है और उसे बढ़ाया जा सकता है।
- (2) एल्यूमीनियम या तांबा या जस्ता या उनकी मिश्रधातुओं से बने उत्पादों का औसत कार्यकाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची-III**नवीनीकरण के लिए अनुमत अलौह धातुओं से बने उत्पादों की सूची**

क्र.सं.	उत्पाद
1.	दरवाजे, खिड़कियां, शटर
2.	एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी)
3.	एल्यूमिनियम के पार्टिशन, ग्रिल और ऐसे अन्य उत्पाद
4.	फर्नीचर टेबल, कुर्सियां, बेंच, सीढ़ी आदि जिसमें दरवाजे की मूठ, हैंडल, हार्डवेयर शामिल हैं
5.	मोटर्स, पंप, अल्टरनेटर और ऐसे अन्य उत्पाद
6.	सेनेटरी वेयर और फिटिंग
7.	बिजली की फिटिंग
8.	एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाईसाइकिल
9.	ट्रांसफार्मर
10.	इलेक्ट्रिक जेनरेटर सेट
11.	केंद्रीयित एयर कंडीशनिंग संयंत्र

अनुसूची-IV**अलौह धातुओं से बने नए उत्पाद में पुनर्नवीनीकरण सामग्री का न्यूनतम उपयोग**

क्र.सं.	धातु का प्रकार	नए उत्पाद के कुल वजन में से पुनर्नवीनीकरण सामग्री का न्यूनतम उपयोग (प्रतिशत में)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
(i)	एल्यूमीनियम	5	10	10	10
(ii)	तांबा	5	10	15	20
(iii)	जस्ता	5	10	15	25

[फा.सं. 12/84/2024-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में सा.का.नि. 395(अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 670(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. 177(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 11 जून, 2018; सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 1 मार्च, 2019; सा.का.नि. 641(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2020; सा.का.नि. 47(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 12 नवंबर, 2021; सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2022 और सा.का.नि. 900(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2022; सा.का.नि. 500(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2023; सा.का.नि. 677(अ) दिनांक 18 सितंबर, 2023 और सा.का.नि.177(अ) दिनांक 12 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 499 (E).— The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for bringing out regulations for extended producer responsibility (EPR) for scrap of Non-Ferrous metals is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the 'Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in.

Draft Notification

Whereas, in a rapidly changing world, the utmost concern today is pollution and scarcity of resources. Ores and minerals of metals are non-renewable natural resources which have an ever-growing demand at the global level and across sectors, making it imperative to reuse and recycle already extracted metals. Recycling of these non-ferrous metals provides social, economic and environmental benefits apart from the potential for employment generation;

And whereas India's mineral-rich areas are under dense forests and inhabited by tribal communities Recycling reduces extraction pressures due to the growing demand for metals and will prevent loss of livelihood and destruction of forests and vegetation cover;

And whereas, Ministry of Mines, Government of India has recently brought out a “National Non-Ferrous Metal Scrap Recycling Framework, 2020”, especially for the non-ferrous metal sector to promote non-ferrous metal recycling and recommended certain action points for promoting a formal and well organised recycling ecosystem and work towards economic wealth creation, job creation and increased contribution to GDP through metal recycling.

Now therefore, in the exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby notifies the extended producer responsibility for scrap of Non-Ferrous metals under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time, namely:

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the 1st Day of April, 2025.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after Chapter VII, the following Chapter shall be inserted, namely: -

‘Chapter VIII

Extended Producer Responsibility for Scrap of Non-Ferrous metals

44. Definitions. – For the purposes of this Chapter, -

- (a) “**bulk consumer**” means any entity using at least one thousand tons of non-ferrous metals products listed in Schedule-I of this Chapter, at any point of time in the particular Financial Year and includes e-retailer;
- (b) “**business**” means any activity of production or manufacturing or sale and import of scrap metals recycling, disposal and treatment;
- (c) “**collection points**” means the facility where the authorised collection agent would collect the scrap of non-ferrous metals as per the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board for the purposes of this Chapter;
- (d) “**collection agent**” means any person or entity who collects scrap of non-ferrous metals and supplies it to the recycler;
- (e) “**manufacturers**” means the person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for the manufacture of products or components or spares etc. which producers use as specified in Schedule-I of this Chapter;
- (f) “**end-of-life**” of the product means the time when the product is intended to be discarded by the user;
- (g) “**environmentally sound management of scrap**” means taking all steps required to

- ensure that scrap metals are managed to protect health and the environment against any adverse effects which may result during collection, transportation, processing or disposal;
- (h) “**extended producer responsibility**” means the responsibility of the producer of scrap of non-ferrous metals products under this Chapter for meeting recycling targets only through registered recyclers to ensure environmentally sound management of scrap of non-ferrous metals;
- (i) “**facility**” means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, recycling, disposal and treatment of scrap of non-ferrous metals is being carried out;
- (j) “**guidelines**” means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements for achieving environmentally sound management of scrap of non-ferrous metals including its handling, collection, transportation and storage and its recycling;
- (k) “**non-ferrous metals**” means Aluminium or Copper or Zinc or their alloys for the purposes of these rules;
- (l) “**portal**” means the online system developed by the Central Pollution Control Board for management and implementation of compliance of this Chapter;
- (m) “**product**” means any product or item containing non-ferrous metals;
- (n) “**producer**” means any person or entity, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, who, -
- i. manufactures and offers to sell products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares under its own brand, using non-ferrous metals or their alloys; or
 - ii. offers to sell under its brand assembled products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers, using non-ferrous metals or their alloys; or
 - iii. offers to sell imported products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares under their own brand or original brand, using non-ferrous metals or their alloys; or
 - iv. who imports used devices or products or scrap of non-ferrous metals.
- (o) “**recycling**” means any process of recycling of scrap of non-ferrous metals and producing value-added products/recycled metals and alloys in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the standard operating procedure (SOP) or guidelines specified by the Central Pollution Control Board;
- (p) “**recycler**” means any person or entity engaged in the process of recycling scrap of Non-Ferrous metals;
- (q) “**recycling target**” means the quantity of the scrap of non-ferrous metals to be recycled as per the provisions of Schedule-II;
- (r) “**refurbisher**” means any person or entity repairing or assembling used product made of

non-ferrous metals as listed in Schedule-III for extending its working life over its originally intended life and for same use as originally intended, and selling the same in the market;

(s) “**standard operating procedure**” means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating the minimum requirement of equipment and processes.

45. Registration. - (1) The following entities shall get registered by the Central Pollution Control Board on the portal, namely:-

- (a) manufacturer;
- (b) producer;
- (c) collection agent;
- (d) refurbisher; and
- (e) recycler.

(2) In case any entity falls in more than one category under sub-rule (1), then the said entity shall register themselves under each of those categories separately.

(3) No entity referred to in sub-rule (1) shall carry out business without registration.

(4) The entities registered under sub-rule (1) shall not deal with any entity not registered under sub-rule (1).

(5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Chapter or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five years after allowing being heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 59.

(6) The Central Pollution Control Board may charge registration fees and annual maintenance charges from the entities seeking registration under this Chapter based on the capacity of scrap metals generated, recycled or handled by them as laid down by the Central Pollution Control Board.

46. Modalities of extended producer responsibility and its target. – (1) All producers shall fulfil their extended producer responsibility obligation specified in the Schedule-II in reference to the product or item listed in Schedule-I and in doing so they may also take the help of third-party organisations, such as collection centres or dealers:

Provided that the extended producer responsibility shall lie entirely on the producer only.

(2) The extended producer responsibility target of the producers shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of operational loss if any.

(3) (i) The Producers shall fulfil their extended producer responsibility through online purchase of extended producer responsibility certificates from registered recyclers;

- (ii) the details provided by producers and registered recyclers shall be cross- checked on the portal;
- (iii) in case of any difference, the lower figure shall be considered towards the fulfillment of the extended producer responsibility obligation of the producer; and
- (iv) the certificates shall be subject to environmental audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorised by them in this regard.

47. Extended producer responsibility certificate generation. – (1) Recycling. - (i) The Central Pollution Control Board shall generate an extended producer responsibility certificate through the portal in favour of a registered recycler, which shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$*Q_{EPR} = Q_p \times C_f.$$

**the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the certificate, Q_p is the quantity of the end product and C_f is the conversion factor of each end product (quantity of inputs required for production of one unit of output)*

(ii) Conversion factor C_f for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board based on the technologies used by recyclers.

(2) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per these rules.

(3) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing the year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and the extended producer responsibility certificates shall be in the denominations of 100, 200, 500, 1000 and 10,000 kilograms or as may be laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under rule 62.

(4) In case of multiple end products of recycling, the conversion factor for generation of extended producer responsibility certificate shall be determined as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee.”.

(2) Refurbishing. – (i) The product made of non-ferrous metals as listed in Schedule-III shall also be allowed for refurbishing and refurbisher shall have to get registered on the portal and based on the data provided, refurbishing certificate shall be generated in favour of a registered refurbisher in the format laid down by it in this regard.

(ii) On production of the refurbishing certificates purchased from the registered refurbisher, the extended producer responsibility of the producers shall be deferred by the duration as laid down by the Central Pollution Control Board for the corresponding quantity of product made of non-ferrous metals and shall be added to the extended producer responsibility of the producer upon expiry of the extended life of the refurbished product.

(iii) To incentivise refurbishing, only 75 per cent of the deferred quantity shall be added to the extended producer responsibility of the producer for recycling upon expiry of the extended life of the refurbished product.

48. Transaction of extended producer responsibility certificate. – (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of the current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus Ten per cent of the current year liability.

- (2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificates every quarter.
- (3) As soon as the producer purchase the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against his liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.
- (4) As soon as producer purchases refurbishing certificates its extended producer responsibility liability shall be deferred automatically for the relevant quantity of the product, for the duration as laid down by the Central Pollution Control Board.
- (5) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or recycler shall be made available on the portal.
- (6) All the transactions under this Chapter shall be recorded and submitted by the producers or refurbisher or recyclers on the portal.
- (7) The Central Government may by, order establish one or more platform for exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.
- (8) The operation of the platform established under sub-rule (7) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.
- (9) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred per cent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility obligation under rule 59.
- (10) The exchange price of extended producer responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-rule (9).

49. Portal for registration, filing of annual returns, extended producer responsibility Certificate and tracing of Materials. –

(1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration and filing of quarterly and annual returns, extended producer responsibility certificate and tracing scrap of non-ferrous metals generated by any entity or person, which shall ensure a mechanism wherein the material balance of the scrap of non-ferrous metals generated and its

re- utilization introduced in the market by any producers in a financial year is reflected.

(2) The portal shall act as the single point data repository for management and implementation of extended producer responsibility for scrap of non-ferrous metals.

(3) The online portal shall be functional by the Central Pollution Control Board within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024 and all activities related to the implementation of the extended producer responsibility shall be done in online manner.

(4) The manifest system for transport of scrap of non-ferrous metals generated shall be applicable to those entities under this Chapter who are required to take authorisation under the said rules.

(5) The Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest or for effective implementation of these rules, by order, relax any period within which any return or report is to be filed under these rules by a producer, collection agents, refurbisher and recycler thereof, for a further period not exceeding nine months.

50. Responsibilities of the Manufacturer. – All Manufacturers shall have to, -

- (a) register on the portal;
- (b) collect scrap of non-ferrous metals and waste generated during the manufacture of products and their components or consumables or parts or scrap and ensure its recycling or disposal;
- (c) shall have the obligation with respect to the minimum use of domestically recycled materials in new product as per the Schedule-IV. The assessment of the minimum use of the recycled materials in new product shall be in respect of the total weight of the new product.
- (d) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
- (e) filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates;
- (f) in the case of the manufacturer with multiple offices, a single annual return combining information from all the offices shall be filed.

51. Responsibility of Producers. - The producers of scrap of non-ferrous metals shall be responsible for, -

- (a) registration on the portal;
- (b) fulfilling extended producer responsibility targets as per Schedule-II;
- (c) provide the contact details such as address, email address, toll free telephone numbers or helpline numbers to consumers through their website or advertisements or documentation to facilitate the process;
- (d) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;

- (e) filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates;
- (f) creating awareness through media, publications, advertisements, posters or any other means of communication;
- (g) for the collection and transport of scrap metals, producers and other entities may make suitable arrangements as convenient to them including the formation of integrated management systems by two or more producers;

52. Responsibility of Collection agent. – The collection agents shall have to, -

- (a) register on the portal;
- (b) collect scrap of non-ferrous metals from the manufacturer, producers, bulk consumers and supply to the registered recycler and upload information on the portal;
- (c) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
- (d) filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

53. Responsibilities of the Refurbisher. – All Refurbisher shall have to, -

- (a) register on the portal;
- (b) collect scrap of non-ferrous metals and waste generated during the manufacture of products and their components or consumables or parts or scrap and ensure its recycling or disposal;
- (c) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
- (d) filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

54. Responsibilities of the Recycler. – The recycler shall have to, -

- (a) register on the portal;
- (b) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with these rules;
- (c) ensure that the scrap of non-ferrous metals are procured from registered manufacturers, producers and collection agents;
- (d) ensure that no damage is caused to the environment during storage, transportation and recycling of scrap metals;
- (e) ensure that the residue generated during the recycling process is disposed of in an authorised treatment storage disposal facility or in accordance with the said rules;
- (f) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
- (g) filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates;

- (h) account for and upload information about any waste or any quantity which is not recycled and disposed of.

55. Responsibilities of the bulk consumers. – Bulk Consumers shall have to,-

- (a) set up collection points to facilitate collection agents in the collection and transportation of scrap of non-ferrous metals from their premises; and
(b) ensure that scrap of non-ferrous metals generated by them shall be handed over only to registered recyclers or producers or collection agents.

56. Responsibilities of the Central Pollution Control Board. - The Central Pollution Control Board shall be responsible for-

- (a) operation and maintenance of portal and monitoring of extended producer responsibility compliance;
(b) coordination with State Pollution Control Boards;
(c) prepare and issue Guidelines and Standard Operating Procedures for registration on the portal, extended producer responsibility certificate generation, fulfillment of obligation, returns and for collection, storage, transportation, recycling and disposal of scrap of non-ferrous metals under this Chapter and also on any other issue for smooth implementation of these rules from time to time
(d) prepare and issue necessary forms or returns on portals for implementation of this chapter.
(e) conduct random checks for ascertaining compliance of the extended producer responsibility and for that purpose the Board may take the help of Customs or the State Government or any other agency;
(f) documentation, compilation of data and uploading on the portal;
(g) taking action against violation of this chapter.
(h) conducting training programmes to develop capacity building including State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;
(i) conducting awareness programmes;
(j) integration of all stakeholders with the centralized digital system;
(k) prepare and submit an annual report to the Central Government; and
(l) any other function delegated by the Central Government under this Chapter from time to time.

57. Responsibilities of the State Governments or Union territories or Municipalities or local bodies or the State Pollution Control Board. – (1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other Government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall –

- (a) ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for collection of scrap metals and recycling units in the existing and upcoming industrial parks, estates and industrial clusters;
(b) ensure recognition and registration of workers involved in recycling;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in recycling of scrap metals;

(d) undertake annual monitoring and ensure the safety & health of workers involved in recycling of scrap metals;

(2) Municipalities and Local Bodies shall facilitate manufacturer producers, bulk consumers or collection agents to set up a large number of collection points for collection of scrap metals in their jurisdictional areas. Shall also ensure that scrap of non-ferrous metals, if found to be mixed with Municipal Solid Waste, is properly segregated, collected and channelized to registered entities involved in recycling. Conducting training sessions to develop the capacities of the Urban Local Bodies.

(3) Responsibility of State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees of Union territories, shall -

(i) ensure proper implementation of this chapter in coordination with the Central Pollution Control Board;

(ii) facilitate the setting up of collection points by the collection agents;

(iii) monitor the compliance of extended producer responsibility as directed by the Central Pollution Control Board;

(iv) conduct random inspection of producers or collection agents or refurbisher or recyclers; and

(v) perform any other function by the Central Government under this Chapter.

58. Responsibilities of the Bureau of Indian Standards (BIS). – The Bureau of Indian Standards shall revise existing standards and issue necessary standards w.r.t this Chapter within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024.

59. Environmental Compensation. – (1) Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producers in case of non-fulfillment of obligations set out in this Chapter and transaction or use of false extended producer responsibility certificates or on any entity on violation of any provisions of this Chapter and guidelines issued hereunder.

(2) The environmental compensation shall also be levied on the recyclers for issuing false extended producer responsibility certificates and providing false information.

(3) It shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity which aids or abets the violation of this Chapter.

(4) (i) payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in this Chapter and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years;

(ii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, eighty five per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer; and

(iii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two years, sixty per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the

producer, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three years, thirty per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no environmental compensation will be returned to the producer.

(5) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above five per cent of the actual recycled scrap of non-ferrous metals shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable and subsequent offence, violation of this Chapter for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.

(6) (i) the funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by Central Pollution Control Board and the funds collected shall be utilized in the collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of scrap of non-ferrous metals on which the environmental compensation is levied, and on other heads as decided by the committee; and

(ii) modalities and head for utilization of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Central Government.

60. Action for violation. – In case any person provides incorrect information required under this Chapter for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, wilfully violates the directions given under this Chapter or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, action under Sections 15, 15A, 15B, 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may be taken against that person and this action shall be in addition to the environmental compensation levied under rule 59 of this Chapter.

61. Verification and audit. - (1) The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of this Chapter by the manufacturer, producers, collection agents, refurbisher and recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and take actions against violations under rule 59 of this Chapter.

(2) Any fee for the verification and audit shall be charged by the Central Pollution Control Board from the concerned registered entity.

62. Steering Committee. – (1) There shall be a Steering Committee headed by the Chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board to oversee the implementation of extended producer responsibility under this Chapter, which shall consist of the following other members, namely:-

- (i) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
- (ii) one representative of the Ministry of Mines;
- (iii) one representative of the Ministry of Steel;
- (iv) one or two representatives of Manufacturer/Producer Associations;
- (v) one or two representatives of Recycler Associations;
- (vi) one representative of Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development & Design Centre;
- (vii) one representative of the State Pollution Control Board or Pollution Control

- Committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;
- (viii) Member Secretary of Central Pollution Control Board; and
- (ix) Head of the Division of Central Pollution Control Board as Member Convener.
- (2) The Steering Committee may co-opt any other member if it considers necessary.
- (3) The steering committee shall be responsible for the overall implementation, monitoring and supervision of this Chapter.
- (4) Shall also decide upon the disputes arising from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to Central Government any substantial issue arisen or pertaining to this Chapter.
- (5) The Steering Committee shall review and revise the targets of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government.
- (6) The Steering Committee shall take all such measures, as it deems necessary for the proper implementation of the provisions of this Chapter.
- 63. Application of other provisions of these rules.** - The provisions relating to hazardous wastes under these rules shall also apply to utilisation and management of scrap of non-ferrous metals under this Chapter.’.

Schedule - I

The list of products made of non-ferrous metals

S. No.	Products
1.	Cans for Beverages, aerosols and other such product
2.	Packaging Foils for food, pharma and other such product
3.	Doors, windows, shutters
4.	Aluminium composite panel (ACP)
5.	Aluminium partitioning, grills and other such product
6.	Utensils (Cookware, canisters, storage and other such product)
7.	Furniture tables, chairs, benches, ladders etc. including doorknobs, handles, hardwares
8.	Roofing & Ceiling sheets
9.	Motors, pumps, alternators and other such product
10.	Conductor cables & Wires, strips
11.	Sanitary ware & fittings

12.	Electrical fittings
13.	Aluminium Alloy Bicycle
14.	Transformer
15.	Electric Generator sets
16.	Centralized air conditioning plants
17.	Apparel products e.g. Belt Buckles, Zip, Shoes
18.	Toys

Schedule-II
Extended Producer Responsibility obligation of Producer

Sl. No.	Year (Y)	Recycling Target (by weight)
(i)	2025-2026	10% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(ii)	2026-2027	10% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(iii)	2027-2028	30% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(iv)	2028-2029	30% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(v)	2029-2030	50% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(vi)	2030-2031	50% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(vii)	2031-2032 onwards	75% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X' is the average life of the product
(viii)	Units established after 1 st April, 2025, the extended producer responsibility obligation will start after two years and shall be as per the target prescribed above.	
(ix)	The extended producer responsibility obligation for importers of used devices or products or scrap of non-ferrous metals in the year (Y) shall be 100 per cent of the non-ferrous metals imported in the year (Y-1).	

Note:

- (1) Recycling target may be reviewed and increased after the end of year 2032- 2033.
- (2) Average life of products made of aluminium or copper or zinc or their alloys shall be specified by the Central Pollution Control Board.

Schedule - III

List of products made of non-ferrous metals allowed for refurbishing

S. No.	Products
1.	Doors, windows, shutters
2.	Aluminium composite panel (ACP)
3.	Aluminium partitioning, grills and other such product
4.	Furniture tables, chairs, benches, ladders etc. including doorknobs, handles, hardwares
5.	Motors, pumps, alternators and other such product
6.	Sanitary ware & fittings
7.	Electrical fittings
8.	Aluminium Alloy Bicycle
9.	Transformer
10.	Electric Generator sets
11.	Centralized air conditioning plants

Schedule-IV

Minimum use of recycled materials in new product made of non-ferrous metals

Sl. No.	Type of Metal	Minimum use of recycled materials out of the total weight of the new product (in percentage)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
(i)	Aluminium	5	10	10	10
(ii)	Copper	5	10	15	20
(iii)	Zinc	5	10	15	25

[F.No. 12/84/2024-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020 ; number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021; number G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022 and number G.S.R. 900(E) dated the 23rd December, 2022; number G.S.R. 500(E) dated the 12th July, 2023; number G.S.R. 677(E) dated the 18th September, 2023 and number G.S.R. 177(E) dated 12th March, 2024.